बिहार सरकार राज्य आयुक्त निःशक्तता का कार्यालय, पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।

पी०डब्ल्यू०डी० एक्ट 2016 की धारा-51 के तहत गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के निबंधन संबंधी निम्न सामाग्रियों का विवरण:-

- 1. सोसाईटीज रजिस्टे॰ेशन एक्ट-21, 1860 के तहत प्रमाण-पत्र की प्रति।
- 2. वायलोज की सत्यापित प्रति।
- गत तीन साल का अंकेक्षण प्रतिवेदन अभिप्रमाणित।
- तीन साल का प्रगति प्रतिवेदन अभिप्रमाणित।
- 5. संस्था द्वारा लाभान्वित निःशक्तजनों की सूची।
- 6. स्मृति-पत्र।
- 7. संस्था के वन्तमान कार्यकारिणी समिति के सदस्य का नाम, पिता/पित का नाम, पता, पेशा एवं सदस्यों का छायाचित्र सहित।
- कार्यालय का छायाचित्र सहित।
- 9. आवेदनकत्र्ता के आवेदन पत्र पर वत्र्तमान दूरभाष/मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल अंकित होना अनिवार्य है।

राज्य आयुक्त निःशक्तता के आदेशानुसार।